न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/09/2014	2014/00039	26.11.2014	12.08.2024

1.रामधन पुत्र श्री लोहडिया जाति गुर्जर उम्र करीब 70 साल निवासी सक्काला की ढाणी कालवाड (खोहदरीबा) तहसील राजगढ, जिला अलवर।

---प्रार्थी

बनाम

1.मातादीन पुत्र श्री लक्ष्मण जाति रैगर,
2.मनोहर पुत्र पुत्र श्री लक्ष्मण जाति रैगर,
3.घनश्याम पुत्र श्री लक्ष्मण जाति रैगर,
4.प्रेमचन्द पुत्र श्री लक्ष्मण जाति रैगर,
5.सीयाराम पुत्र श्री लक्ष्मण जाति रैगर,
6.यादराम पुत्र श्री लक्ष्मण जाति रैगर,
7.रमादेवी बेवा लक्ष्मण जाति रैगर,
8.भू आवंटन सलाहकार समिति, राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान जर्ये अध्यक्ष, उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर राजस्थान।

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) आवटंन नियम 1970 विरूद्ध आदेश आवटंन सलाहकार समिति राजगढ जर्ये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी राजगढ दिनांक 17.9.75 जिसके द्वारा अप्रार्थी सं. 1 ला.6 के पिता एवं अप्रार्थी सं.7 के पति स्वर्गीय लक्ष्मण पुत्र मुंशीराम रैगर को आराजी खसरा नम्बर 235/6 रकबा 5 बीघा जिसका हाल खसरा नम्बर 17 रक्चा 1.26 है. बना है वाकै ग्राम कालवाड तहसील राजगढ जिला अलवर को आवटंन किए जाने की आज्ञा बेजा खिलाफ कानून पारित की गई। बमुराद मन्सुखी उपरोक्त आज्ञा वो स्वीकार किये जाने प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण।

उपस्थितः--

01.श्री कमल सिंह पोसवाल – वकील प्रार्थी
02.श्री पवन सिंह चौहान – वकील अप्रार्थीगण
03.राजकीय अभिभाषक – वकील अप्रार्थी 08

--:: निर्णय ::--

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ जेर नियम 14 (4) आवटंन नियम 1970 विरूद्ध आदेश आवटंन सलाहकार समिति राजगढ जर्ये अध्यक्ष उपखण्ड

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

अधिकारी राजगढ दिनांक 17.9.75 जिसके द्वारा अप्रार्थी सं. 1 ला.6 के पिता एवं अप्रार्थी सं.7 के पति स्वर्गीय लक्ष्मण पुत्र मुंशीराम रैगर को आराजी खसरा नम्बर 235/6 रकबा 5 बीघा जिसका हाल खसरा नम्बर 17 रक्चा 1.26 है. बना है वाकै ग्राम कालवाड तहसील राजगढ जिला अलवर को आवटंन किए जाने से व्यथित होकर पेश किया है जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं आराजी खसरा नम्बर 235/6 रक्चा 5 बीघा जिसका हाल खसरा नम्वर 17 रकबा 1.26 हैक्टेयर से बना है याकै ग्राम कालवाड तहसील राजगढ़ जिला अलवर में स्थित है जिस आराजी पर प्रार्थी का कब्जा कदीमी से बुजुर्गो के समय से चला आ रहा है यानि करीब 60–70 सालों से चला आ रहा है। जिसमें प्रार्थी ने एक घर कच्चा बना रखा है जिसमें प्रार्थी अपनी फसल की रखवाली हेतु रहता है। एक पक्का कुआ (चाह) बना रखा है जिस पर इंजन लगा रखा है जिससे विवादित आराजी के सिंचाई करता है उक्त आराजी के चारों तरफ फसल की जगंली जानवरों से सुरक्षा हेतु कोरा–पारा पत्थरों का डण्डा यानि बाउण्डरी वाल बना रखी है जो करीब 5 फुट ऊचों बना रखा है और प्रार्थी द्वारा लगाए हुये 25–30 पेड बबूल पीपल आदि के खडे हुयें है। प्रार्थी पशु मवेशी वगैराह बांधता है तथा प्रत्येक प्रकार से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। इस समय उक्त आराजी में प्रार्थी द्वारा बोई हुई बाजरा की फसल खडी हुई है एवं गेहूँ व सरसों के बोने के लिए बाकी जमीन में जोत लगा रखी है। उक्त आराजी के चारों तरफ बाउण्डरीवाल में तरफ दक्षिण की ओर निवास (गेट) है जिससे आते जाते हैं। आराजी से अपना कब्जा हटा लो क्योंकि यह आराजी हमें आवंटित हो गई है और जिसके लिए तुम्हारे खिलाफ उपखण्ड अधिकारी के दावा भी करा दिया है इसलिए तुम्हे जबरन बेदखल करके कब्जा करेंगे। उसके बाद एस. डी. ओ. राजगढ से भी उनके दावा की सूचना आई जिस पर पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो उसने बताया कि विवादित आराजी अप्रार्थी नम्बर 1 ला. 7 के पिता, पति को दिनांक 17.09.1975 को आवंटित हो गई जिस पर प्रार्थीने तहसील राजगढ़ में उक्त आवटन के बारे में जानकारी करवाई तो आवंटन की फाईल के बारे में जानकारी करवाई तो जानकारी हुई कि यह आवंटन पत्रावली माननीयराजस्व मण्डल अजमेर में किसी प्रकरण में गई हुई है वहाँ से उक्त पत्रावली की तलाश करवाकर आवेदन पत्रावली से उक्त आवंटन आदेश की नकल दिनांक 13.8.2014 को मिली जिसे वकील साहब को दिखाया तो उन्होने कहा कि उक्त आवंटन को निरस्त कराने की कार्यवाही प्रार्थना पत्र धारा 14(4) आवटंन नियम के तहत कलेक्टर साहब के पेश करनी पड़ेगी जिस पर प्रार्थी ने खर्चे का इन्तजाम किया और यह प्रार्थना पत्र तैयार कराकर आज बिना देरी के पेश किया जा रहा है।

आज्ञा भू–आवटंन सलाहकार समिति दिनांक 17.09.1975 न्यायिक प्रक्रिया विधि एवं तथ्यों तथा मौके के कब्जे के खिलाफ है जिस कारण निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन कमेटी के आदेश करने से पूर्व उपरोक्त आराजी का सर्व साधारण को सूचनार्थ कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ना ही मौके पर जाकर आराजी की वस्तु स्थिति के बारे में कोई जानकारी की गई अपितु मनमानें तरीके से नियम खिलाफ आवटंन की आज्ञा पारित की गई है तथा वक्त आवंटन आराजी मुतनाजा खाली नहीं थी और कानूनन ऐसी आराजी का आवंटन

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

नहीं किया जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में आवटंन कमेटी की आज्ञा वो आवटंन निरस्त होने योग्य है निरस्त फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 ला. 7 के पिता व पति स्वर्गीय लक्ष्मण को उक्त आवटंन के बाद ना तो उक्त आराजी पर दखल दिया गया और ना ही विवादित आराजी पर स्वर्गीय लक्ष्मण ने कभी काश्त की गई। बल्कि उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त आज से 60–70 साल पूर्व से निरन्तर चला आ रहा है और आज भी है जिस पर आज प्रार्थी की बोई हुई फसल बाजरा खडी हुई है एवं शेष रकबे में जोत लगा रखी है। ऐसी स्थिति में भी भू–आवटंन सलाहकार समिति का आलोच्य आदेश निरस्त होने योग्य है निरस्त फरमाया जावे। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आदेश नियम 1970 नियम (3)) के अनुसार आवंटी को आवटंन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को और बाकी भाग में दूसरे साल में काश्त करना होता है। जिस शर्त का आवंटी को पालन करना होता है। यदि वह ऐसी शर्त की पालना नही करता है तो वह आवटंन निरस्त होने योग्य होता है। अप्रार्थी संख्या 1 ला.7 ने उक्त शर्त की कतई पालना नहीं की है क्योंकि उन्होने आवटंन के प्रथम साल व द्वितीय साल में क्या आज तक कोई काश्त नहीं की है ना ही उनका कब्जा है। इसलिए ऐसा आदेश कानूनन निरस्त होने योग्य है। साविक खसरा नम्बर 6–123 बीघा 8 बि. का बडा रकबा है जिसके पिछले बन्दोबस्त में भी कोई तितम्बा नक्शे में नहीं काटे गये थे। आवटंन कमेटी ने बिना तितम्बा कटे हुये ही बिना किसी आधार के खसरा नम्बर 235/6 रकबा 5 बीघा का आवटंन किया है जबकि 235/6 खसरा नम्बर राजस्व रिकॉर्ड में कोई खसरा नम्बर है ही नहीं। उसके बाद हाल बन्दोबस्त आने के बाद जो साबिक खसरा नम्बर 6 के हाल खसरा नम्बर बनाये है उनके अनुसार खसरा नम्बर 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,37, कुल किता 18 बनायें है । जिनमें से हाल खसरा नम्बर 17 रकबा 1.26 हैक्टेयर में राजस्व रिकॉर्ड में नाम अप्रार्थी संख्या 1 ला.7 का आया है जो खसरा नम्बर हाल 17 प्रार्थी के कब्जे में बुजुर्गो के समय से यानि 60–70 साल से चला आ रहा है। अप्रार्थी का उक्त हाल खसरा नम्बर 17 रकबा 1.26 हैक्टेयर पर कब्जा किसी भी तरह का नहीं है बल्कि अप्रार्थी का कब्जा हाल आराजी खसरा नम्बर 15 पर चला आ रहा है जो राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह अंकित है और किस्म बारानी दोयम है। उपरोक्तानुसार प्रार्थी का कब्जा काश्त हाल आराजी खसरा नम्बर 17 पर बदस्तूर चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ला. 7 का कब्जा हाल खसरा नम्बर 15 पर चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में भी अप्रार्थीगण का कब्जा हाल खसरा नम्बर 17 पर नहीं होने के कारण उक्त आवंटन आदेश निरस्त होने योग्य है निरस्त फरमाया जावे। आवटंन कमेटी ने कृषि प्रमाणनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम की पालना नहीं की है जिसके अन्तर्गत तहसीलदार प्रत्येक साल 30 सितम्बर तक अनाधिकृत सरकारी भूमियों को सिंचित व असिंचित दोनो सूचि प्रपत्र में तैयार करेगा और एस.डी.ओ. को प्रस्तुत करेगा जो पंचायत समिति एवं तहसील कार्यालय में निरीक्षणार्थ उपलब्ध रहेगी। ऐसा आवंटन कमेटी द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण भी आवंटन कमेटी की आज्ञा विधि विरूद्ध है और निरस्त किए जाने योग्य है।

आवंटन कमेटी में 1970 के नियम 7 के अनुसार आवंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए उदघोषणा जारी नहीं की। इसलिए भी आवटंन कमेटी की आज्ञा काबिल

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

निरस्तनीय है। आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन नियम 1970 के नियम 7 (2) की पालना भी नहीं की है। उदघोषणा में 2 सप्ताह की कालावधि या जनहित में जब भी किसी विशेष क्षेत्र के लिए जारी की जावेगी जो खसरा नम्बरान का आवंटन किया जाना है उसका उपखण्ड अधिकारी के सूचना पट पर लगाया जावेगा तथा किसी लोक समागम के स्थान पर भी उदघोषणा चिपकाने की तारीख से गणना की जावेगी। इसकी पालना आवटन कमेटी द्वारा नहीं की गई है। ऐसी सूरत में भी आवंटन कमेटी की आज्ञा काबिल निरस्तनीय है। आवंटन सलाहकार समिति को प्रार्थी का कब्जा पुराना मानते हुए तथा प्रार्थी अन्य पिछडा वर्ग (ओ.बी. सी) के होने के कारण प्रार्थी के हक में आवटंन/नियमन करना चाहिए था लेकिन आवटंन सलाहकार समिति ने गौर नहीं किया जो काबिल गौर श्रीमान् है। उक्त आधारों पर आवंटन/विनियमन आज्ञा दिनांक 17.9.1975 निरस्त होने तथा प्रार्थी के हक में आवंटन/नियमन किए जाने योग्य है। अन्य वाकैयात दौराने बहस जुवानी अर्ज किये जायेंगे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

पत्रावली मे उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया एवं दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य एवं बहस का मिलान किया गया। प्रार्थना पत्र में 14(4) के क्रम में पत्रावली पर कोई ठोस आधार एवं तथ्य नहीं हैं। सिर्फ यह कह देने की उस पर हमारा कब्जा है, विधिसम्मत नहीं है। आवंटन 17.09.1975 का आवंटन है जो काफी पुराना है। आवंटन होके विधिवत रिकॉर्ड में आया हुआ है। आवंटन खारिज करने के कोई ठोस आधार नहीं है, न ही भूमिधारी द्वारा कभी इसमें आवंटन खारिज करने की कोई कार्यवाही की गई। प्रार्थना पत्र आधारहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 14(4) अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(द्वितीय)
अलवर (राज0)